रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 202] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1986/ज्येष्ठ 3 1908
No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1986/JYAISTHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1986

अधिसूचना

का. आ. 297(अ)....—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर की बाबत 24 मई, 1986 को कारबार की समाप्ति से तारीख 25 सितम्बर, 1986 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए स्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्रवाइयां और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2 केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपए तथा संस्थाओं के मामले में 25,000- रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्त्ता/संस्था को जो किसी भी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी;

(2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या सदाय आदेशों की राशि रकम और जो उस तारीख को जिसको कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश [illegible] है बकाया रह जाती है,

(3) तारीख 24 मई 1986 को या उसके [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

(4) [illegible] बैंक द्वारा [illegible] उसके विरुद्ध [illegible] किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिग्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक व्यय से उपगत किया जाता है परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या [illegible] या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी, और

(5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहा तक वह बैंककारी कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय मे आवश्यक है परन्तु जहा किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्धे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहा उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्धे कोई व्यय उपगत नही हुआ है, और ऐसे मे मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहा भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी ,

(ख) तारीख 24 मई 1986 का कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए, अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नही करेगा।

3 केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि [illegible] निम्नलिखित और सदाय, अर्थात् हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड कानपुर को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियो के विरुद्ध उधारो/अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असदत्त है अतिरिक्त सदाय कर सकता है।

4 केन्द्रीय सरकार यह और निर्देश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर पूर्वोक्त सदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तो का हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर के पक्ष मे कोई रकम जारी किए जाने के पूर्व पालन किया जा रहा है।

5 केन्द्रीय सरकार यह और निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलो को, जिनकी वसूली नही हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलो मे कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6 केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, लिमिटेड कानपुर एस माल या प्रतिभूतियो की निम्नलिखित रीति मे [illegible] विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया हो, आडमानित, [illegible] या अन्यथा प्रभारित किया गया हो,—

(1) [illegible] उधार लेने वाले [illegible] रकमों के मद्धे पूर्ण [illegible] बैंक द्वारा [illegible] प्राप्त कर लिया गया है, और

(2) [illegible] दशा मे, यथास्थिति अनुपातो या ऐसे अनुपातो [illegible] जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे [illegible] इन दोनो मे से जो उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओ के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[फाइल न 17/2/86-बी ओ-III)

शरद केलकर, अपर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 24th May, 1986

NOTIFICATION

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that Section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur for the period from the close of business on the 24th May, 1986 and upto and inclusive of the 25th September, 1986 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of Section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its power under Section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Hindustan Commercial Bank Ld , Kanpur shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India.

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) *a sum not exceeding 50 per cent of* the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any

रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1986/ज्येष्ठ 3, 1908
No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1986/JYAISTHA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
नई दिल्ली, 24 मई, 1986

अधिसूचना

का. आ. 297(अ)....—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर की बाबत 24 मई, 1986 को कारबार की समाप्ति से तारीख 25 सितम्बर, 1986 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए स्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्रवाइयां और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, कानपुर को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना,—

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

(1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संदत्त रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपए तथा संस्थाओं के मामले में 25,000- रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता/संस्था को जो किसी भी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी;

(2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त [illegible] असदत्त रह जाती है,

(3) [illegible] 24 मई 1986 [illegible] पूर्व, [illegible]

(4) [illegible] किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उससे देय किसी रकम का वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी, और ;

(5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छह कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्धे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्धे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे मे मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी ;

(ख) तारीख 24 मई, 1986 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए, अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3 केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर उक्त मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि [illegible] निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड कानपुर को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असदत्त है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4 केन्द्रीय सरकार, यह और निर्देश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने के पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6 केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि हिन्दुस्तान कर्मशियल बैंक, लिमिटेड कानपुर ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में [illegible] तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया हो, आडमानित [illegible] या बंधक या अन्यथा [illegible] किया गया हो,—

(1) [illegible] दशा में [illegible] उधार लेने वाले [illegible] सभी रकमों के मद्धे पूर्ण [illegible] बैंक द्वारा [illegible] प्राप्त कर लिया गया है, और

(2) [illegible] दशा में, अनुज्ञात अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए [illegible] इन दोनों में से जो उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[फाइल न 17/2/86-बी ओ-III)
शरद केलकर, अपर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 24th May, 1986

NOTIFICATION

S.O. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that Section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur for the period from the close of business on the 24th May, 1986 and upto and inclusive of the 25th September, 1986 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of Section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its power under Section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that, during the period of moratorium granted to it, the Hindustan Commercial Bank Ld , Kanpur shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India.

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) a sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any

one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 in the case of individuals and Rs. 25,000 in the case of Institutions and provided further that no amount shall be paid to any depositor|institution who is indebted to the bank in any way ;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 24th May, 1986 and realised before, on or after that date ;

(iv) Any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred ; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium; or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred ;

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 24th May, 1986.

3. The Central Government hereby also directs that the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur may, during the period of moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur.

5. The Central Government hereby further directs that the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur may release or deliver goods or securities which may be pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft:—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally ; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the ordre of moratorium came into force, whichever may be higher.

[F. No. 17|2|86-B.O.III]
S. M. KELKAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986